INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. R. 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

22 MAY 2006

स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि मे देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेतागण का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नही रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह

मिलान कर्ता
पुष्टि कर्ता

मिलान कर्ता
पुष्टि कर्ता

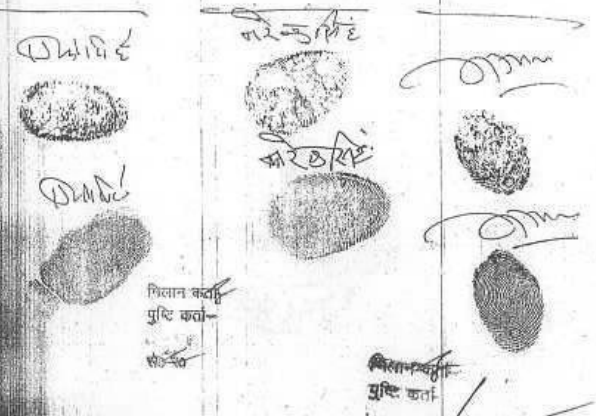

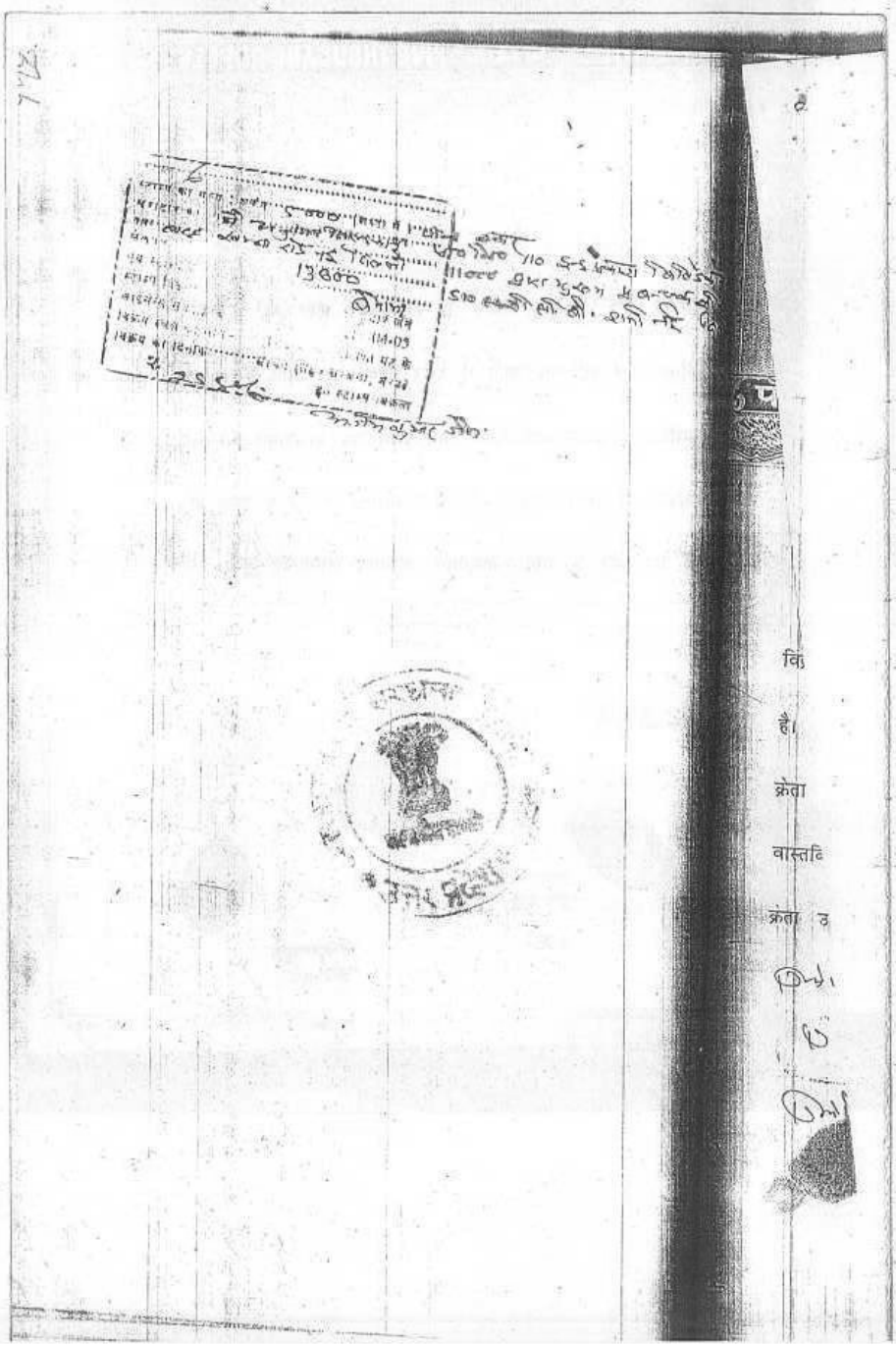

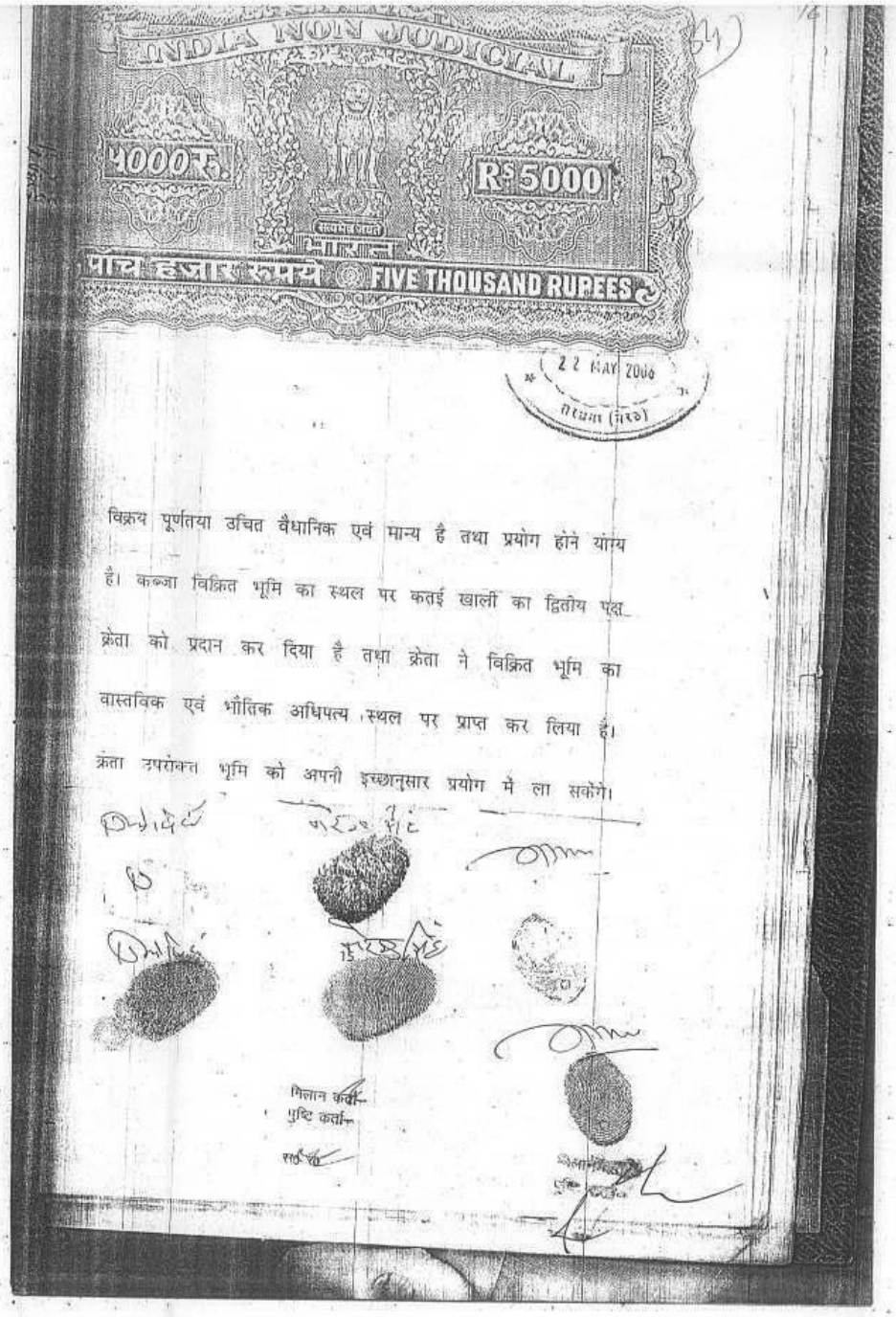

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते
भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

22 MAY 2006

विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे।

मिलान कर्ता
पुष्टि कर्ता

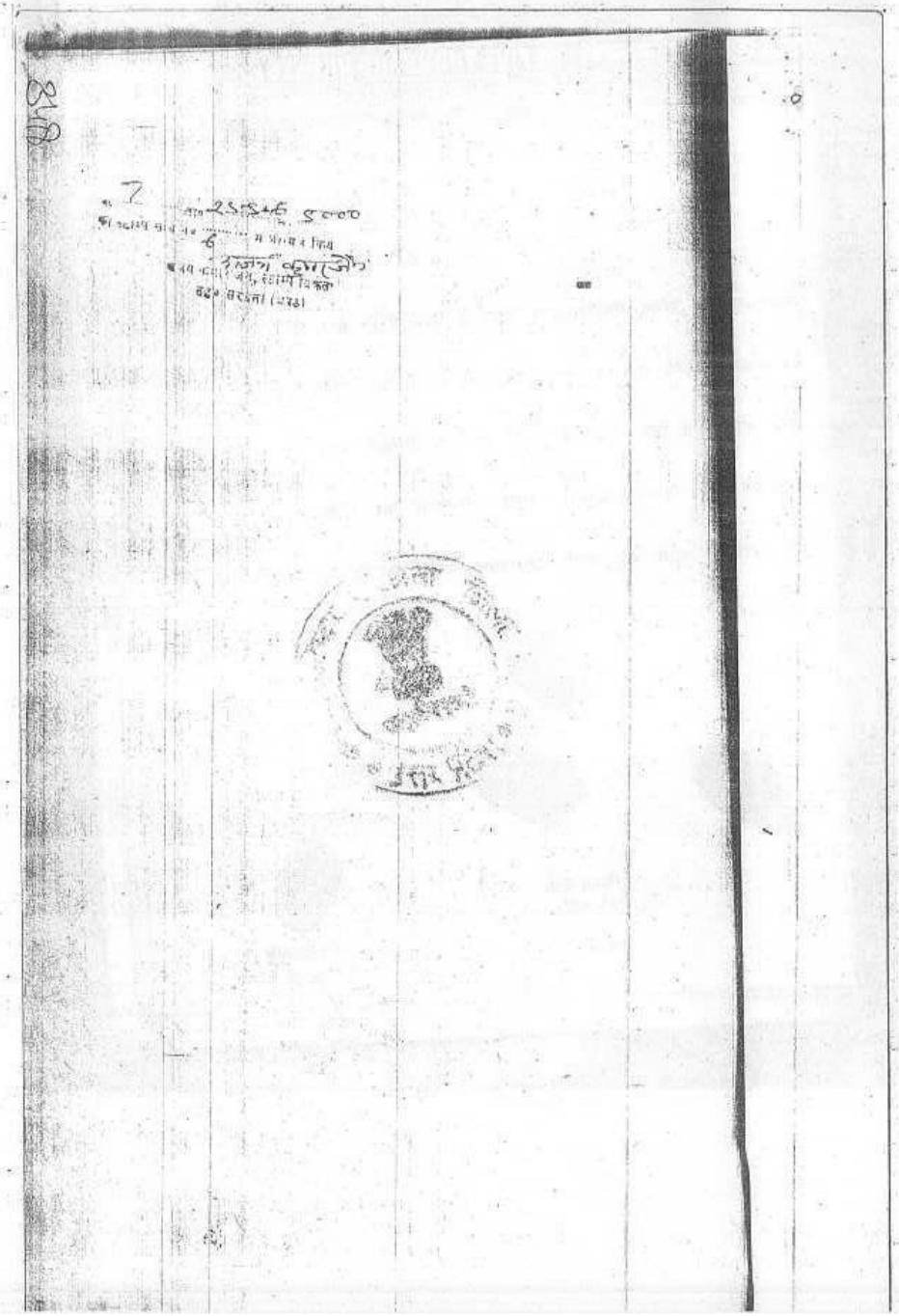

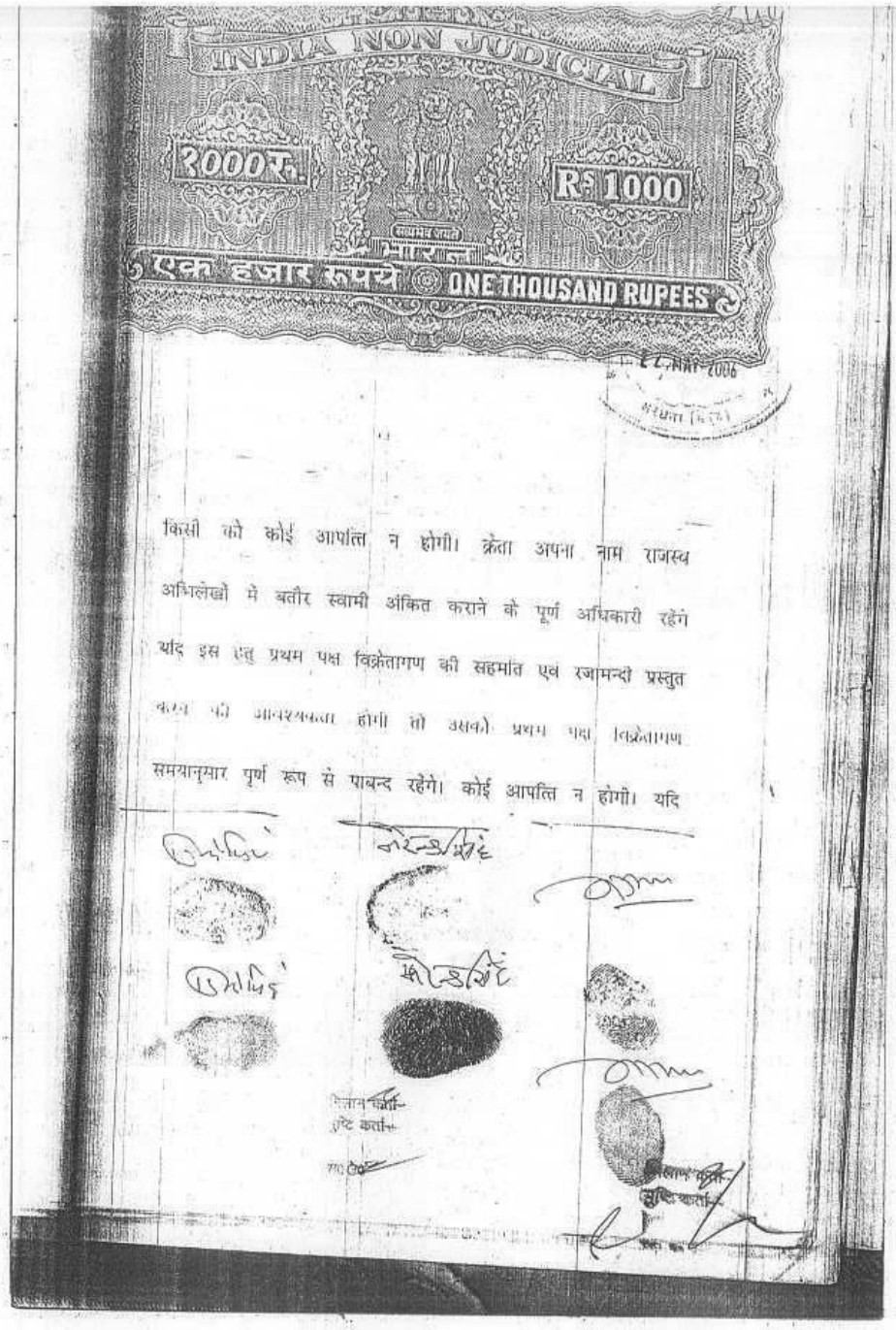

किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेतागण की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेतागण समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि

8 25-506 1000

6

उत्तर प्रदेश

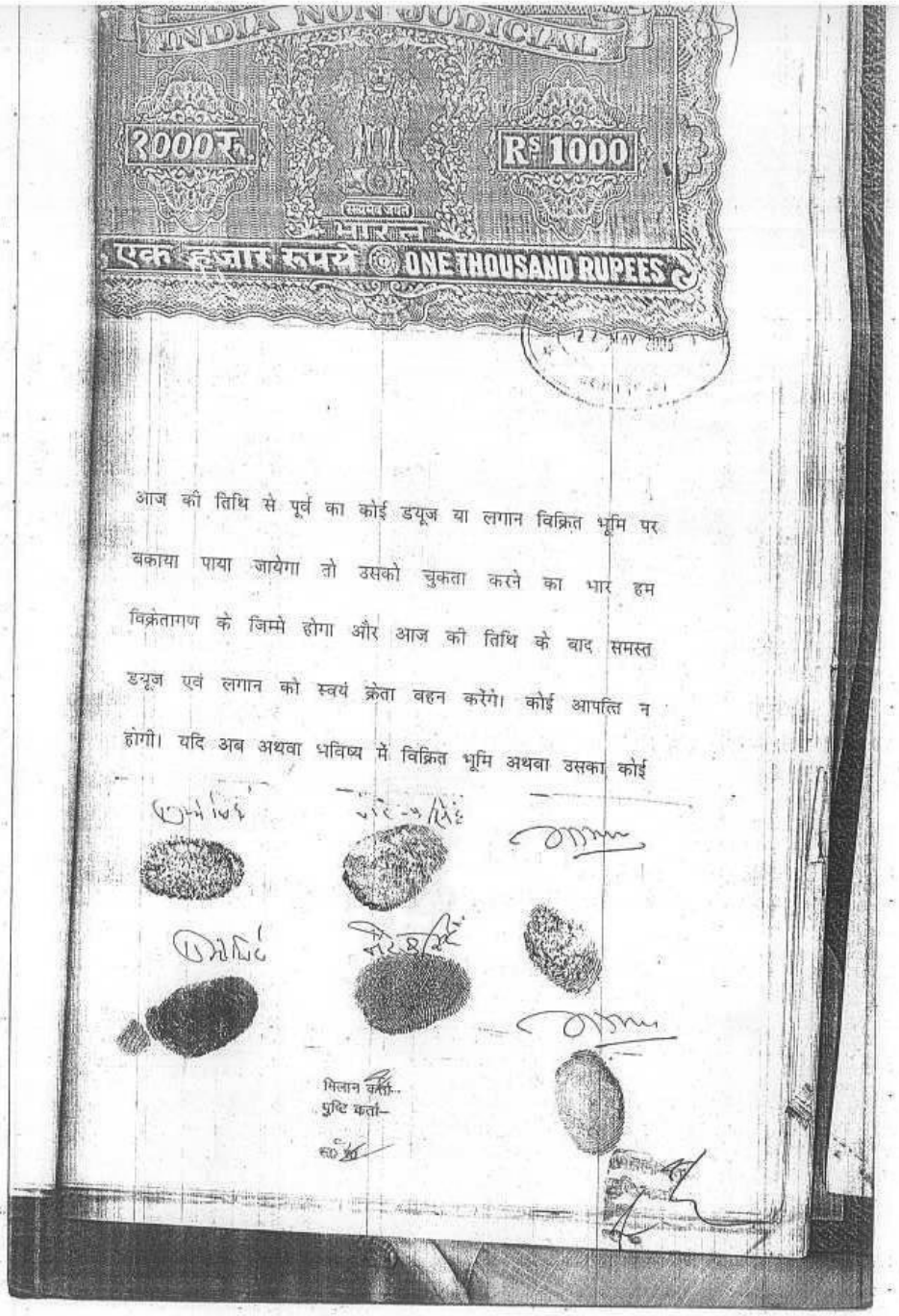

INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

आज की तिथि से पूर्व का कोई डयूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेतागण के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त डयूज एवं लगान को स्वयं क्रेता वहन करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई

मिलान कर्ता-
पुष्टि कर्ता-